न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 190/2022

आरसीएमएस नं. 2022/190

किशोरी लाल पुत्र ताजू जाति बावरी निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ। ––अपीलार्थी

बनाम

1. मुखराम पुत्र नन्दराम जाति बावरी निवासी चक 20 एच.एम.एच. तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. कालूराम पुत्र फूसाराम जाति बावरी निवासी 11 सी.डी.आर. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. चिमनाराम पुत्र लाधूराम जाति बावरी निवासी 11 सी.डी.आर. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
4. हमर सिंह पुत्र गोपाल जाति बाबरी निवासी रामसरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. रामप्यारी पुत्री गोपाल पत्नी हरीराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. भूप सिह पुत्र संतो पुत्री गोपाल पत्नी ठाकर जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. कृष्णलाल पुत्र रामदयाल जाति बावरी निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. हरीसिंह पुत्र रामदयाल जाति बावरी निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. देवीलाल- पुत्र रामदयाल जाति बावरी निवासी रामदसरा नारायण, तहसील व जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

10. लिछमा पत्नी भादरराम जाति बावरी निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ।
11. विमला पुत्री पूरन जाति बावरी निवासी चक 18 एस.पीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
12. श्योलाल पुत्र पूरन जाति बावरी निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला व जिला हनुमानगढ।
13. चनणराम पुत्र श्री पूरनराम जाति बावरी निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ।
14. मामचन्द पुत्र पूरन जाति बावरी निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ।
15. सुरजाराम पुत्र शेराराम जाति बावरी निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ।
16. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नजदीक जाकिर हुसैन पार्क हनुमानगढ टाउन तहसल व जिला हनुमानगढ।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर हनुमानगढ, दिनांक 25.05.2022
प्रकरण संख्या 179/2021, अनवान किशोरीलाल बनाम कालूराम आदि

उपस्थितिः–
श्री देवदत्त भिड़ासरा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 02.02.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में चक 20 एच.एम.एच. के खाता सं0 32/25 की 3.342 है0 भूमि बाबत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक वाद पेश किया उक्त वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.09.2021 को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश जारी किया। रेस्पोडेण्ट सं0 1 मुखराम ने विविध प्रार्थना–पत्र को पेशी में लेने हेतु दिनांक 22.02.2022 को जवाब प्रस्तुत करके प्रार्थना–पत्र पेशी में लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें दिनांक 22.05.2022 को विचारण न्यायलाय ने पत्रावली को पेशी में लेकर नलकूप हेतु विद्युत सम्बन्ध लेने की हद तक स्थगन आदेश निरस्त कर दिया व शेष स्थगन आदेश यथावत रखा एवं पत्रावली में आगामी कार्यवाही हेतु तारीख पेशी दिनांक 26.08.2022 मुकरर्र की गई जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्त अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत, बिना जांच किये, बिना अपलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये, विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करके व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया होने से खारिज योगय है। पत्रावली दिनांक 01.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 को ग्रम पंचायत सतीपुरा में रखी हुई थी व दिनांक 01.12.2021 को पत्रावली में अभियान मे कोई कार्यवाही नहीं हुई व आगामी तारीख दिनांक 28.03.2022 तलबी हेतु मुकर्रर कर दी गई व पत्रावली की फर्द अहकाम में काट छांट करके पुनः दिनांक 22.02.2022 निर्धारित कर दी। दिनांक 22.02.2022 को ही रेस्पोडेण्ट सं0 1 मुखराम के अभिभाषक ने अपना जवाब प्रस्तुत किया व जवाब के साथ पत्रावली मे नजदीक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

की पेशी लेने हेतु भी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.05.2022 को बिना किसी प्रार्थना–पत्र के पत्रावली पेशी मे लेकर बिना अपीलाण्ट को सुने वादग्रस्त भूमि में रेस्पो0 सं0 1 को नलकूप का विद्युत कनैक्शन लेने की छूट प्रदान कर दी जबकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की है व प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा है परन्तु विचारण न्यायलाय ने उक्त विधि स्थिति को अनदेखा करे सहकाश्तकार का विशिष्ट भू भाग पर कब्जा मानकर नलकूप के लिए विद्युत कनैक्शन लेने के लए छूट प्रदान की है जो काबिल खारिजी के है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 मुखराम ने सहकाश्तकार भूपसिंह से जरिये बेयनामा 0.623 है0 भूमि खरीद की है व जरिये इंतकाल सं0 1497 दिनांक 05.06.2020 के द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेण्ट मुखराम का नाम दर्ज किया गया है अर्थात रेस्पोडेंट मुखराज अजनबी क्रेता है व खाता विभाजन से पूर्व संयुक्त खाता की भूमि के किसी विशिष्ट भू भाग अपना कब्जा होना नही बता सकता व ना ही उसका कब्जा होना माना जा सकता है। अजनबी क्रेता विधि अनुसार संयुक्त खता की भूमि का विभाजन करवाकर ही कब्जा प्राप्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू की भी कोई विवेचना किये बिना ही मनमाने रूप से निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत भूमि का पक्षकारांन के मध्य अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन से पूर्व किसी भी सह काश्तकार का संयुक्त खाता की भूमि में विशिष्ट किलों पर कब्जा होना नहीं माना जा सकता है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा कृषि भूमि में विद्युत कनैक्शन लेने हेतु सामान्य शर्तें विद्युत सप्लाई (वर्तमान कृषि निति) के नियम लागू कर रखे हैं जिसक तंहत संयुक्त खाता की भूमि में सही सह काश्तकारों की सहमति के बाद ही विद्युत सम्बन्ध दिया जा सकताहै। परन्तु रेस्पो0 सं0 1 वर्तमान में विद्युत विभाग का कर्मचारी है बिना अपीलाधीन आदेश की आड में बिना प्रक्रिया अपनाये विद्युत सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। यदि रेस्पोडेण्ट सं0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1981 पेज 639, आरआरडी 1987 पेज 330 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का खातेदार नहीं है। अपीलांट ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। कालूराम फौत है। ताजूराम के कुल 8 वारिस है लेकिन ताजुराम के सभी वारिसों को पक्षकार नही बनाया। विद्युत संबंध स्थापित करना सुधार कार्य की श्रेणी में नहीं आता है। रेस्पोडेण्ट ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम की शर्तों के अनुसार ही कनैक्शन प्राप्त किया है। अपीलांट ने यह स्पष्ट नही किया कि विद्युत कनैक्शन स्थापित हो जाने से अपीलांट को क्या अपूर्णीय क्षति होगी। अपीलांट का वाद पत्र व अपील हाजा विधि अनुसार पोषणीय नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन, व अपरिमेय क्षति के विन्दू अपीलांट के पक्ष में नही है। अपीलाण्ट स्वच्छ हाथों से अपील में नहीं आया है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा उसे रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है। विक्रेता भूपसिंह पुत्र गुरचरण सिंह के पूर्व में काश्तकारों के मध्य हुए बंटवारा में पत्थर नं. 123/286 किला नं. 18, 19, 20/.126 (पूर्वी ओर) पर कब्जा था। वरवक्त बैयनामा विक्रेता भूपसिंह ने उपरोक्त भूमि का ही कब्जा रेस्पोडेंट सं0 1 को सौंपा था तभी से उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 1 आधिपत्य व धारण में चली आ रही है उपरोक्त भूमि के किला नं. 20 में नलकूप के विद्युत कनैक्शन हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया था जिसका विद्युत कनैक्शन रेस्पोडंट सं0 1 के नाम आ चुका है तथा मौके पर पोल व तारें बिछाई जा चुकी है कानूनन रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध कोई स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2021 (2) पेज 1277, आरआरटी 2011 (2) पेज 1294 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

6. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में चक 20 एच.एम.एच. के खाता सं0 32/25 की 3.342 है0 भूमि बाबत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक वाद पेश किया उक्त वाद के साथ अपीलाण्ट धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.09.2021 को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश जारी किया। रेस्पोडेण्ट सं0 1 मुखराम दिनांक 22.02.2022 को जवाब प्रस्तुत करके प्रार्थना–पत्र पेशी में लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें दिनांक 22.05.2022 को विचारण न्यायलाय ने पत्रावली को पेशी में लेकर नलकूप हेतु विद्युत सम्बन्ध लेने की हद तक स्थगन आदेश निरस्त कर दिया व शेष स्थगन आदेश यथावत रखा एवं पत्रावली में आगामी कार्यवाही हेतु तारीख पेशी दिनांक 26.08.2022 मुकर्रर की गई। अपील में अपीलाण्ट को प्रश्नगत भूमि में विद्युत कनैक्शन लेने पर आपत्ति है। रेस्पोडेण्ट ने जोधपुर विद्युत विरतण निगम की शर्तों के अनुसार कनैक्शन प्राप्त किया है। अपीलांट ने यह स्पष्ट नहीं किया है विद्युत कनैक्शन स्थापित होने से अपीलांट का को क्या अपूर्णीय क्षति हो रही है। जबकि विद्युत कनैक्शन स्थापित करना एक सुधारात्मक कार्य है। 2015 (1) डीएनजे (राज.) 44 न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायलाय द्वारापारित किया गया है कि केवल विद्युत कनेक्शन लेने से दूसरे पक्षकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस न्यायालय का मत है कि विद्युत सम्बंध स्थापित करना सुधार की श्रेणी में आता है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के अलौक में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन के वाद के निर्णय पर इस आदेश का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा तथा खाता विभाजन में प्रश्नगत भूमि यदि अन्य खातेदार के हिस्से में आती है तो रेस्पोडेण्ट अपने स्वयं के खर्चे पर संबंधित विद्युत कनैक्शन एवं पौल अपने खर्चे पर हटायेगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2022 यथावत रखा जाता अधीनस्थ न्यायालय में विचारधीन अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन के वाद के निर्णय पर इस आदेश का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा तथा खाता विभाजन में प्रश्नगत भूमि यदि अन्य खातेदार के हिस्से में आती है तो रेस्पोडेण्ट अपने स्वयं के खर्चे पर संबंधित विद्युत कनैक्शन एवं पौल अपने खर्चे पर हटायेगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2.2.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/02/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)